पत्रांक : 09 / बि०वि०प०स०–07 / 2017 258

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,
पटना।

पटना, दिनांक 15.06.2017

विषय : **बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाने वाली वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में इन्टरमीडिएट परीक्षा के प्रावधानों के अनुरूप ही एक अथवा दो विषय में अनुत्तीर्ण होने पर विनियमावली (Regulation) में संशोधन करने के संबंध में।**

प्रसंग: आपका पत्रांक–के०–277 दिनांक 14.06.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर विभागीय सहमति संसूचित की जाती है।

विश्वासभाजन

15-6-17

उप सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक के०-277/

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

प्रेषक,

अनुप कुमार सिन्हा
सचिव,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग,
बिहार सरकार ।

पटना, दिनांक 14 जून, 2017

विषयः बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाने वाली वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रावधानों के अनुरूप ही एक अथवा दो विषय में अनुत्तीर्ण होने पर रेगूलेशन में संशोधन करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाने वाली वार्षिक **माध्यमिक** परीक्षा में परीक्षार्थियों के उत्तीर्णता के लिए कुल अंकों के योग के आधार पर उत्तीर्ण होने, किन्तु एक विषय अथवा दो विषय में अनुत्तीर्ण होने पर अतिरिक्त अंकों का लाभ देकर समुचित श्रेणी के साथ उत्तीर्ण होने के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विनियमावली, 1964 के अध्याय VIII की विनियम 8 एवं 10 में वर्णित प्रावधान निम्नवत है :

Regulation 8 :

A candidate for Secondary School Examination who secures pass marks in the aggregate but fails in one subject by not more than 5 percent marks or by not more than 3 percent marks in two subjects shall be allowed to pass and placed in the appropriate division.

Regulation 10 :

Candidates securing first division marks in the aggregate and pasing in English and failing in one subject by not more than 8 percent marks shall be allowed to pass and shall be placed in the appropriate division.

2. उल्लेखनीय है कि **इंटरमीडिएट** परीक्षा के लिए पूर्व से इंटरमीडिएट परीक्षा में परीक्षार्थियों के उत्तीर्णता के लिए कुल अंकों के योग के आधार पर उत्तीर्ण होने, किन्तु एक विषय अथवा दो विषय में अनुत्तीर्ण होने पर अतिरिक्त अंकों का लाभ देकर समुचित श्रेणी के साथ उत्तीर्ण होने के संबंध में वर्णित प्रावधान निम्नवत है :

I. A candidate failing in one subject only by not more than 8 percent or in two subjects by not more than 4 percent marks in each shall be given the marks he/she in short of and result shall be declared accordingly.

II. A candidate who has obtained at least 75 % marks in aggregate but has failled in one subject only by not more than 10 % marks and cannot be allowed to pass under any other regulation, will be declared to have passed and division shall be determined accordingly.

III. If a candidate is short of the minimum aggregate marks prescribed for Ist or 2nd Division by 5 marks or less, he/she shall be given the minimum marks required to make up the deficiency and shall be placed in higher division but the position in the higher division shall be determined on the basis of the original marks secured by him.

2

3. चूँकि बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् के विघटन के पश्चात् समिति द्वारा माध्यमिक परीक्षा के साथ–साथ अब इंटरमीडिएट परीक्षा भी लिया जाता है, अतः प्रस्ताव है कि इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए लागू उक्त प्रावधान को ही माध्यमिक परीक्षा में भी लागू किया जाए, ताकि दोनों में समरूपता भी रहे। अर्थात इस आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विनियमावली, 1964 के अध्याय VIII की कंडिका 8 एवं 10 में निम्नवत संशोधन किया जाना प्रस्तावित है :

Regulation 8 : (Proposed Amendment)

I. A candidate failing in one subject only by not more than 8 percent or in two subjects by not more than 4 percent marks in each shall be given the marks he/she in short of and result shall be declared accordingly.

Regulation 10 : (Proposed Amendment)

I. A candidate who has obtained at least 75 % marks in aggregate but has failled in one subject only by not more than 10 % marks and cannot be allowed to pass under any other regulation, will be declared to have passed and division shall be determined accordingly.

II. If a candidate is short of the minimum aggregate marks prescribed for Ist or 2nd Division by 5 marks or less, he/she shall be given the minimum marks required to make up the deficiency and shall be placed in higher division but the position in the higher division shall be determined on the basis of the original marks secured by him.

इस संशोधन के फलस्वरूप मैट्रिक परीक्षा में भी इंटरमीडिएट परीक्षा के समरूप ही प्रावधान प्रभावी हो जाएगे।

4. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा 17 के अन्तर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सरकार के अनुमोदन से विनियम बनाने की शक्ति प्रदत्त है ।

5. अतः सादर अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिका–3 में अंकित संशोधन के प्रस्ताव पर विभागीय अनुमोदन देने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,
14.6.2017
(अनुप कुमार सिन्हा)
सचिव